

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

पवनकुमार

उनवान

बनाम

काशीराम आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act


मुकदमा नम्बर :- 187/2019

निर्णय दिनांक :- 18-11-2024

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोखानी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सरजीत बिजराणि की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-11-2024 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा करनपुरा खारानी के खाना संख्या 44/40 के खसरा संख्या 358 की 5.855 हेक्टेयर खसरा संख्या 437 की 4.856 कुल खसरा 2 की 10.711 हेक्टेयर खारानी खेतवादी में प्रतिवादी सं 1 काशीराम प्रतिवादी सं 5-6 मीरा व सन्तोष ने अपना एक हिस्सा वादी पवनकुमार प्रतिवादी सं 2 गोगेशाराम प्रतिवादी सं 3 महावीर प्रतिवादी सं 4 शान्ती देवी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए वाद डूमि में प्रतिवादी काशीराम का नाम कलमजत किया जाकर उक्त वाद डूमि में वादी सं 5 प्रतिवादी सं 2 का 4 को अहिज के अनुकार खेतवादी का खसरा घोषित किया जाता है चूंकि त्याग किये जाये हिस्सा पर पंजीपत्र शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-11-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)